उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

UPRVUNL

पत्र सं0: 610 –मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2011–यूओसं0–20 मा0सं0–03/2010 दिनांक: 18-04-2011

## "कार्यालय ज्ञाप"

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन विभिन्न ताप विद्युत गृहों पर निष्प्रयोज्य/अप्रयोज्य वाहनों के चालकों को आवश्यकता के अनुरूप उनके समुचित उपयोग के उद्देश्य से निगम कार्यहित में एतद्द्वारा उक्त चालकों के पद परिवर्तन हेतु समस्त विद्युत गृहों के प्रमुखों को अधोलिखित प्रतिबन्धों सहित प्राधिकृत किया जाता है :–

1. पद परिवर्तन परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवाविनियमावली–1995, में वर्तमान श्रेणी को अपरिवर्तित रखते हुए उस श्रेणी के अन्य तकनीकी पदों पर पूर्ववर्ती परिषदादेश संख्या–1413–ज0श0(08)/रा0वि0प0– 94–100 (1) एनजी/73(टीसी) दिनांक 18.08.1994 के प्राविधानान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. परिवर्तित किये जाने वाले नये पद हेतु स्वीकृत पद उपलब्ध होने चाहिए।
3. पद परिवर्तन के पूर्व के वह पद जिनसे कार्मिक पद परिवर्तित होकर दूसरे पद पर गये हैं, अस्थगित रखे जायेंगे एवं उन पर नई भर्ती अथवा प्रोन्नति नहीं की जायेगी।
4. पद परिवर्तन के पश्चात् कार्मिक नये पद का कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप करेंगे।
5. पद परिवर्तन करने हेतु यदि उपर्युक्त प्रतिबन्धों से विचलन की आवश्यकता होगी तो इसकी अनुमति मुख्यालय से अलग से प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का यथेष्ट अनुपालन विद्युत गृहों के प्रमुखों द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

PM-3
19/4
मुख्य अभियन्ता
भाकुम संसाधन

पत्र सं0 610 –मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2011 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पनकी/हरदुआगंज/पारीछा ताप विद्युत गृह, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, ओबरा, (सोनभद्र)/ अनपरा (सोनभद्र)/पनकी(कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पारीछा (झाँसी) ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
3. मुख्यालय स्थिति समस्त मुख्य अभियन्ता।
4. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
5. निगम मुख्यालय में तैनात समस्त उप महाप्रबन्धक/उप सचिव/अनु सचिव।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–03)